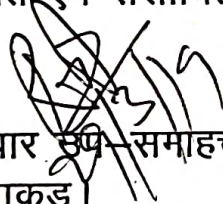


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	विविध वाद सं०- 09/2017-18 कईफुद्दीन अहमद <u>—: आदेश :—</u> यह वाद मौजा— ईशाकपुर, थाना नं०- 130, के अनावादी खाता सं०- 350, दाग सं०- 1110, कुल रकवा— 07बी०-00क०-07धूर भूमि के अन्दर 06बी०-17क०-00धूर भूमि का आवेदक कईफुद्दीन अहमद, पिता— स्व० नरेश शेख, सा०— ईशाकपुर के साथ नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा मार्गदर्शन की मांग के आलोक में प्रारम्भ किया गया। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत जमीन अनावादी खाते की प्रतिवेदित है। उक्त भूमि का बन्दोबस्ती पट्टा भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा आवेदक के पूर्वज के नाम निर्गत है। उक्त भूमि का लगान निर्धारण हुआ है अथवा नहीं यह अस्पष्ट है। प्रश्नगत दाग का ही आंशिक रकवा पंजी— II में एक नरेश सेख के नाम से दर्ज है। अतः अंचल अधिकारी, पाकुड़ प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव अभिलेख तैयार कर एक माह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़।  भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़।	